

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,  
लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 1675/3894 आजीविका/बी०सी० सखी/2022-23, लखनऊ

दिनांक: 18 मार्च, 2023

विषय: बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में डी०बी०टी० के माध्यम से अन्तरित धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कार्यरत बी०सी० सखी के माध्यम से आहरण कर नकद धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समन्वय के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या सामु० सह०/DBT-5/2022-23 दिनांक 16 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपने विभाग अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से अन्तरित धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कार्यरत बी०सी० सखी के माध्यम से आहरण कर नगद धनराशि लाभार्थी को प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 17.03.2023 को बेसिक शिक्षा विभाग के टेक्नोलॉजी टीम, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टेक्नोलॉजी टीम एवं उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ के मध्य हुई बैठक में स्पष्टता प्राप्त की गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों की सूचना डिजिटल माध्यम से कैसे उपलब्ध करायी जायेगी एवं दोनों विभागों को बी०सी० सखी के माध्यम से रिपोर्ट जनरेट की जायेगी कि डी०बी०टी० द्वारा प्रदत्त राशि वांछित लाभार्थी को प्राप्त हुई या नहीं।

इस पूरी प्रक्रिया को ए०पी०आई० के माध्यम से दोनों पोर्टल के मध्य ए०पी०आई० से Sample Basis पर Technology Trial प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है। Data Sharing की प्रक्रिया दिनांक 20-21 मार्च 2023 से प्रारम्भ हो जायेगी एवं बी०सी० सखियों द्वारा Sample Data रिपोर्ट की जायेगी। टेक्नोसिस के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वे Technology Trial के पश्चात ए०पी०आई० के माध्यम से सम्बन्धित सूचनओं का आदान-प्रदान दिनांक 27 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि अपने विभाग के Technology Partner को उपरोक्त समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

  
(सी०/इन्दुमती)  
मिशन निदेशक

उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

पत्रांक: / / आजीविका/बी०सी० सखी/2022-23, लखनऊ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाईल।

मिशन निदेशक

उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,  
लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,  
स्कूल शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: / /आजीविका/बी०सी० सखी/2022-23, लखनऊ दिनांक: 18 मार्च, 2023

विषय: बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में डी०बी०टी० के माध्यम से अन्तरित धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कार्यरत बी०सी० सखी के माध्यम से आहरण कर नकद धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समन्वय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या सामु० सह०/DBT-5/2022-23 दिनांक 16 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपने विभाग अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से अन्तरित धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कार्यरत बी०सी० सखी के माध्यम से आहरण कर नगद धनराशि लाभार्थी को प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 17.03.2023 को बेसिक शिक्षा विभाग के टेक्नोलॉजी टीम, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टेक्नोलॉजी टीम एवं उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ के मध्य हुई बैठक में स्पष्टता प्राप्त की गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों की सूचना डिजिटल माध्यम से कैसे उपलब्ध करायी जायेगी एवं दोनों विभागों को बी०सी० सखी के माध्यम से रिपोर्ट जनरेट की जायेगी कि डी०बी०टी० द्वारा प्रदत्त राशि वांछित लाभार्थी को प्राप्त हुई या नहीं।

इस पूरी प्रक्रिया को ए०पी०आई० के माध्यम से दोनों पोर्टल के मध्य ए०पी०आई० से Sample Basis पर Technology Trial प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है। Data Sharing की प्रक्रिया दिनांक 20-21 मार्च 2023 से प्रारम्भ हो जायेगी एवं बी०सी० सखियों द्वारा Sample Data रिपोर्ट की जायेगी। टेक्नोसिस के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वे Technology Trial के पश्चात ए०पी०आई० के माध्यम से सम्बन्धित सूचनओं का आदान-प्रदान दिनांक 27 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि अपने विभाग के Technology Partner को उपरोक्त समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सी० इन्दुमती)  
मिशन निदेशक

उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

पत्रांक: 1675 /3894/आजीविका/बी०सी० सखी/2022-23, लखनऊ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाईल।

मिशन निदेशक

उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।